

तारीख हुक्म

आवेदन नं. 116/22  
 न्याय न्यायालय दावा

श्री 05 नं. 13022 विभाजन (किरी जंगल) के आदेश  
 दिने भाते है वडसीवदार शहजद के विवेक  
 दिने भाते है कि सन 18 अक्टूबर के नियम 18 अंश  
 की परसंग में उभय पक्ष कासन की उपस्थिति में  
 इरेजाव कलसरा वीनर वीनर प्रावि के उभय  
 किरी आकर नदर प्रमाणित इयन्यायालय में  
 आजायी देसी दि 31 10 23 से पूर्व विजयनर  
 नदर प्रमाणित पर्याप्त सि मारी है

उपरवा...  
 रामगढ पंचवारा जिला

31/10/23

पञ्चावसी नकीश पक्षी उपरि शह  
 प्रकरने के वडसीवदार शहजद के इरेजाव  
 प्राप्त नही है इरेजाव इरेजाव  
 पञ्चावसी दिने 21 10 23 के दिने है

21/10/23

शिवली पत्रा 10 गतामान अधिकारी  
 गत आदेश का पालन में दनाक 2 10 23  
 अपेशा

मह

28/10/23

शिवली पत्रा 10 गतामान अधिकारी  
 गत आदेश का पालन में दनाक 16 10 23  
 अपेशा

मह

09/06/28

पञ्चावसी नकीश पक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण  
 पक्ष के आधार पर पेश हुई नकीश पक्षी  
 द्वारा प्रकरने में प्रमाणित के विवेक प्रक में  
 एक पक्षी कार्यवाही हो जाने के कारण इरेजाव  
 के प्रमाणित के विवेक दिने जाये करे हेतु प्रमाण  
 किरी नकीश पक्षी द्वारा प्रमाणित इरेजाव  
 प्रमाणित दिने हेतु प्रमाणित को 1 10 23 को  
 पञ्चावसी नकीश पक्षी के दिने किरी किरी  
 जाया है किरी प्रमाण प्रमाण के प्रमाण  
 जाकर शक्ति प्रमाणित किरी जाया ।

रामगढ अधिकारी  
 पंचवारा जिला